पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: 15752 दिनांक 14.03.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय,
सीकर एवं झुंझुनू।

विषयः कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु 30 मार्च, 2020 तक महाविद्यालय बंद रखने बाबत्।

संदर्भः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्णय एवं सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4) के निर्देशों की पालना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्णय की अनुपालना में दिनांक 30.03.2020 तक विश्वविद्यालय के सम्बद्धक महाविद्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं। *साथ ही शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिक संबंधित संस्था में उपस्थित रहेंगे एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय–सारणी के अनुसार यथावत जारी रहेंगी।*

मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस नोट की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः प्रेस नोट।

कुलसचिव

क्रमांक: 15752 दिनांक 14.03.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कुलपति सचिवालय।
3. लेखा शाखा / संस्थापन शाखा / परीक्षा शाखा।
4. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ

<u>कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक</u>

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर 30 मार्च तक बंद रहेंगे – मुख्यमंत्री

जयपुर, 13 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क तथा नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे।

श्री गहलोत ने शुक्रवार को देर रात्रि मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में ऐहतियात के तौर पर संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने आमजन को कोरोना के विषय में भयभीत नहीं होने की सलाह दी है और लोगों से अपील की है कि वे भीड़–भाड़ वाले स्थानों से बचें तथा आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें।

श्री गहलोत ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही, मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज में कार्य संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से शादी समारोहों को छोटा रखने तथा सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से एडवाइजरी आदि जारी कर आमजन को जागरूक करें।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए 370 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से केवल 3 ही मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ित मरीजों का इलाज सही दिशा में चल रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में कुल 3 लाख लोगों की कोरोना के संक्रमण की स्क्रीनिंग की गई है।

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजाबाबू पंवार तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सिपल डॉ. सुधीर भण्डारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।